



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062025-263521
CG-DL-E-02062025-263521

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2388]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 2, 2025/ज्येष्ठ 12, 1947

No. 2388]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 2, 2025/JYAISTHA 12, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(आयकर)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2025

का.आ. 2447 (अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 8ख के उप-नियम (3) तथा उप-नियम (6) के खंड (ii), खंड (iii) और खंड (v) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (48) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 2 के उक्त खंड (48) के प्रयोजनों के लिए बंधपत्र (बॉन्ड) को निम्नलिखित विवरणों के साथ शून्य कूपन बंधपत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थातः—

- | | |
|------------------------------------|--|
| (क) बंधपत्र का नाम | - आरईसी लिमिटेड का दस वर्षीय शून्य कूपन बंधपत्र |
| (ख) बंधपत्र की जीवन अवधि | - दस वर्ष छः माह |
| (ग) बंधपत्र जारी करने की समय-सारणी | - दिनांक 31 मार्च 2027 को या उससे पहले जारी किया जाएगा |

- (घ) परिपक्वता या बंधपत्र के मोचन पर भुगतान की जाने वाली राशि - 5,000 करोड़ रुपये
- (ङ) छूट - 2,200 करोड़ रुपये
- (च) जारी किये जाने वाले बंधपत्रों की संख्या - पाँच लाख

[अधिसूचना सं. 52/2025 फा. सं. 300164/5/2024-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
Central Board of Direct Taxes
(Income Tax)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2025

S.O. 2447(E).—In exercise of the powers conferred by clause (48) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), read with clause (ii), clause (iii) and clause (v) of sub-rule (3) and sub-rule (6) of rule 8B of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby specifies the bond with the following particulars as zero coupon bond for the purposes of the said clause (48) of Section 2 of the said Act, namely:—

- | | |
|---|--|
| (a) name of the bond | - Ten Year Zero Coupon Bond of REC Ltd. |
| (b) period of life of the bond | - Ten years six months |
| (c) the time schedule of the issue of the bond | - To be issued on or before the 31st day of March 2027 |
| (d) the amount to be paid on maturity or redemption of the bond | - Rs. 5,000 crores |
| (e) the discount | - Rs. 2,200 crores |
| (f) the number of bonds to be issued | - Five lakhs |

[Notification No. 52/2025 F. No. 300164/5/2024-ITA-1]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.